पटना में दिनांक—10 अक्टूबर, 2023 मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

1.	श्री राकेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, राजपुर, बक्सर सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में—राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली— 2005 के नियम—14(XI) के तहत सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का दण्ड अधिरोपित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	**1.**	**स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

2.	बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग (संशोधन) नियमावली— 2023 के गठन के संबंध में।	**2.**	**स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

3.	बिहार वित्त सेवा गृह निर्माण सहयोग समिति लिमिटेड, पटना को पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा—धीराचक, थाना सं0—16 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल रकबा—11.86 एकड़ भवन निर्माण विभाग के स्वामित्व की भूमि अवमाननावाद (सिविल) संख्या—123/2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक— 10.04.2013 के अनुपालन में अनियतकालीन लीज (Perpetual Lease) पर बन्दोबस्त भू—खण्ड के कतिपय खेसरा का सर्वे नक्शा से रकबा एवं खतियानी रकबा में भिन्नता होने के फलस्वरूप वास्तविक रूप में 11.86 एकड़ के बजाय 12.02 एकड़ आवंटित हो जाने एवं अंश भाग पर भवन निर्माण विभाग के कनीय अभियन्ता का कार्यालय अवस्थित होने के कारण उक्त बन्दोबस्ती सम्बन्धी राजस्व एवं भूमि सुधार विभागीय स्वीकृत्यादेश पत्रांक— 621 (6)/रा0, दिनांक— 23.07.2014 (परिशिष्ट—I) की भूमि विवरणी को संशोधित (परिशिष्ट—II) करने के सम्बन्ध में।	**3.**	**स्वीकृत।**

वित्त विभाग

4.	चुनाव कर्मी/सुरक्षा कर्मी के निर्वाचन कार्य के दौरान मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान के संबंध में।	**4.**	**स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

5. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 की धारा–29(1) में निहित प्रावधान के आलोक में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रथम परिनियम की स्वीकृति के संबंध में। — **5. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

6. CWJC No.-15060/2008 तथा CWJC No.-11248/2008 में दिनांक–21.09.2017 को पारित समेकित आदेश के अनुपालन में वादी स्व० डा० निकहत रिजवी एवं डा० अब्दुल हनान, जो 60 वर्ष की आयु में वार्द्धक्य सेवानिवृत हो चुके है, को 62 वर्ष की आयु तक सेवा में मानते हुए तद्नुसार वेतनादि एवं सेवान्त लाभ का भुगतान LPA No.-24/2019 में पारित होने वाले आदेश से प्रभावित होने एवं यथावश्यक भुगतान की गई राशि संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी से वसूलनीय होने की शर्त्त पर करने हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या–846 (आ०चि०) दिनांक–29.08.2023 पर घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। — **6. स्वीकृत।**

गृह विभाग
(कारा)

7. कारा चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ बनाने एवं मानसिक रोग से ग्रसित बंदियों के विशेष चिकित्सा सुविधा हेतु राज्य के सभी 08 केन्द्रीय काराओं में एक–एक नैदानिक मनोचिकित्सक (Clinical Psychologist) (संविदा आधारित) का पद सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में। — **7. स्वीकृत।**

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

8. श्री गजेन्द्र कुमार मिश्रा, भा०प्र०से० (बी०एच० 2010), संयुक्त सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के उनकी सेवानिवृति की तिथि 31.10.2023 के उपरान्त उसी पद के विरूद्ध संविदा पर अगले दो (02) वर्षों या नियमित पदस्थापन होने तक के लिए, जो पहले हो, नियोजन के संबंध में। — **8. स्वीकृत।**

सहकारिता विभाग

9. राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापार मंडलों को CMR (चावल) की आपूर्ति के आधार पर पूर्व से देय प्रबंधकीय अनुदान की राशि को खरीफ विपणन मौसम, 2022–23 से रू० 10/–प्रति क्विंटल से बढ़ाकर प्रोत्साहन स्वरूप 30 जून तक शतप्रतिशत आपूर्ति करने पर रू० 30/–प्रति क्विंटल, 31 जुलाई तक शतप्रतिशत आपूर्ति करने पर रू० 25/–प्रति क्विंटल एवं उसके बाद शतप्रतिशत CMR (चावल) आपूर्ति करने पर रू० 20/–प्रति क्विंटल की दर से प्रबंधकीय अनुदान की राशि की भुगतान की स्वीकृति के संबंध में। — **9. स्वीकृत।**

निर्वाचन विभाग

10\. लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 की तैयारी के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त निर्वाचन संचालन से संबंधित पुस्तकों के मुद्रण हेतु पश्चिम बंगाल, राज्य सरकार के उपक्रम मेसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड, 11 बी०टी० रोड, कोलकाता–700056 को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के नियम–131 झ (ड़) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने के संबंध में। **10.** स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11\. जल संसाधन विभाग के कुल–07 सिंचाई अंचल पदाधिकारियों का बिहार राजस्व सेवा के मूल कोटि के पद–राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में सेवा समायोजन की स्वीकृति के संबंध में। **11.** स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

12\. वित्तीय वर्ष 2023–24 में बिहार प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (बिपार्ड) गया के निर्माण के लिए मौजा– कोसडिहरा थाना नं०–330, अंचल–नगर (चन्दौती), रकवा–10.36 एकड़ रैयतों की भूमि के मुआवजा भुगतान हेतु पूर्व में स्वीकृत राशि ₹10,27,00,000/– (दस करोड़ सताईस लाख रूपये) मात्र के विरूद्ध पुनरीक्षित राशि कुल ₹54,11,46,571/–(चौवन करोड़ ग्यारह लाख छियालीस हजार पाँच सौ इकहत्तर रूपये) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **12.** स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

13\. श्री कृष्ण कुमार यादव, तत्कालीन अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त (से०नि० तिथि – 28.02.2015) को केन्द्रीय श्रम सेवा के अनुरूप केन्द्रीय वेतनमान का लाभ दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में। **13.** स्वीकृत।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(सिविल विमानन निदेशालय)

14\. कै० शिव प्रकाश, मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक, सिविल विमानन निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.10.2023 के पश्चात् उसी पद के विरूद्ध संविदा के आधार पर अगले 01 (एक) वर्ष या नियमित पदस्थापन/नियोजन होने (जो पहले हो) तक के लिए नियोजन किये जाने के संबंध में। **14.** स्वीकृत।